न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/68/2024 रजू दिनांकः 26.04.2024 रजि0 न0 2024/104

अपीलार्थीः–

सुमेर खान पुत्र श्री मौज खान निवासी क्वार्टर नं0 63/3, एम.ई.एस. कॉलोनी, नसीराबाद जिला अजमेर (राज0) 305601

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 04.06.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 22.03.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 06.05.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी व प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आये तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/756 दिनांक 08.05.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि "आवेदन सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर प्रथम) अलवर को पत्र सं0 524 दि0 08.04.24 के माध्यम से सूचना प्रेषण हेतु अग्रेषित किया गया, किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं जा सकी है। तथापि अब सूचना आवेदन व प्रथम अपील के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर प्रथम) अलवर के पत्र सं0 राजस्व/भूमि अवाप्ति/आर.टी.आई./2024/847 दि0 03.05.2024 के माध्यम से बिन्दू सं0 1 के क्रम में कुल 02 पृष्ठीय सूचना प्राप्त हुई है, जो मूल ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर संलग्न प्रेषित है, साथ ही बिन्दू सं0 2 अंतर्गत वांछित सूचना, भारत सरकार के परिपत्र दि0 10.07.2008, राज्य सरकार के परिपत्र दि0 02.02.2009 एवं परिपत्र दि0 16.12.2011 के आलोक में काल्पनिक/प्रश्नात्मक/सृजनात्मक प्रकृति की सूचना होने के कारण अदेय है।"
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिन्दू सं0 1 के संबंध में वांछित सूचना संबंधित अनुभाग–सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर प्रथम) अलवर से प्राप्त होने पर व बिन्दू सं0 2 के संबंध में वांछित सूचना से अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाकर विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार (खारिज) की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 04.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)